(27)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/1894

श्री बी. के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 27-6-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

27-6-17

मुकेश कुमार पुत्र श्री नत्थीलाल सखवार आयु–34 वर्ष लगभग, जाति–अनुसूचित जाति, निवासी–गुरूद्वारा मौहल्ला, वार्ड नं. 10, अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)

––– आवेदक

बनाम

श्रीमती लोंग श्री पत्नी जबर सिंह सखवार व्यवसाय–गृहकार्य, निवासी–गुरूद्वारा मौहल्ला, वार्ड नं. 10, अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)

–––– अनावेदिका

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 09–05–2017 द्वारा पारित तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना प्रकरण क्रमांक 53/15–16 x अ/6

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, भूमि स्थित मौजा बडपुरा की भूमि सर्वे नम्बर 443 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा में से 1440 वर्गफुट पर अनावेदिका द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण बावत् आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई तथा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 प्रस्तुत कर निवेदन किया और यह अभिवचन किया गया कि आवेदक एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रेता रघुवीर सिंह भाई–भाई हैं। इसलिये प्रश्नगत भूमि को प्लॉट के रूप में दोनों ने पूर्व भूमि स्वामी से क्रय किया था तत्पश्चात् दोनों के द्वारा भवन भी बनाया गया था। उक्त भवन बनने के पश्चात् आवेदक एवं विक्रेता रघुवीर सिंह के मध्य कोई भी बंटवारा नहीं हुआ था। इसलिये सम्पूर्ण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 1894

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–8–2017	आवदेक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09–5–2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में धारा 32 के आवेदन पर सुनवाई की जाकर निर्णय लेने के पश्चात पुनः उसी विषय पर धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने से उसे निरस्त किया है तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। फलतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	